ORDER SHEET

II-155
C.J.

THE COURT

RCT - 223/19 Of 20

शा० वि० आरफ आदि

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22-05-2020	विधि विरूद्ध बालक संप्रेषण गृह में परिरूद्ध है। विधि विरूद्ध बालक की ओर से श्री राजेन्द्र श्रीवास अधिवक्ता वी.सी. के माध्यम से उपस्थित। आवेदक विधि विरूद्ध बालक की ओर से उसके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र श्रीवास ने यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 98 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विधि विरूद्ध बालक मुस्लिम धर्मावलंबी होने व रमजान का माह होने से दिनांक 25.05.2020 को ईद का त्यौहार है, विधि विरूद्ध बालक विगत लगभग 8 माह से बिना किसी कारण व जांच के प्रि–ट्रायल डिटेंशन के रूप में संप्रेषण गृह में निरूद्ध है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व 22 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए एवं धारा 98 के तहत स्पेशल ऑकेजन की श्रेणी में ईद का त्यौहार आने से विधि विरूद्ध बालक को 7 दिवस का अवकाश दिये जाने का निवेदन किया गया है। साथ यह भी निवेदन किया है कि माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा के.ए. साबु विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदेश दिनांक 05.05.2020 में कहा गया है कि The Supreme Court order dated March 23, 2020 whereby the period of limitation for filing cases was	

Scanned with CamScanner

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

extended in view of the Covid-19 lockdown, does not affect the right of an accused to default bail under section 167 (2) of Cr.P.C. ठीक उसी तरह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 14 के संबंध में उक्त अवधि विस्तारण के प्रावधान भले ही लागू कर दिये जावे किंतु उक्त प्रावधानों का लाभ देते हुए विधि विरूद्ध बालक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व 22 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से किसी भी परिस्थिति में वंछित नही किया जा सकता। अत. विधि विरूद्ध बालक को न्याय हित मे 7 दिवस संस्था मे अनुपस्थित रहने की ईजाजत/अवकाश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

विधि विरूद्ध बालक की ओर से उसके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र श्रीवास के तर्क वी.सी. के माध्यम से सुने गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

धारा 98 (1) किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बोर्ड या समिति किसी बालक को अनुपस्थिति की इजाजत दे सकेगा या विशेष अवसरो जैसे परीक्षा, नातेदारो का विवाह, मित्र या परिजन की मृत्यु, या दुर्घटना या माता–पिता के गंभीर रोग या ऐसी प्रकृति की आकस्मिकता पर सप्रेषण के अधीन साधारणतया एक बार मे 7 दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत यात्रा मे लगने वाला समय नही है, बालक को छुट्टी की अनुज्ञा दे सकेगा। वर्तमान प्रकरण मे विधि विरूद्ध बालक की ना तो परीक्षा है, न नातेदारो का विवाह है, न मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना है, न माता–पिता के गंभीर रोग है और न ही प्रकृति की आकस्मिकता है। ईद का त्यौहार धारा 98 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत

Scanned with CamScanner

ORDER SHEET

II-155
C.J.

THE COURT

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	मेरे मत में स्पेशल ऑकेजन की श्रेणी में नही आता है। धारा 98 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसी त्यौहार को स्पेशल ऑकेजन की श्रेणी में उल्लेखित नहीं किया गया है। विधि विरूद्ध बालक के जमानत/सुपुर्दगी से संबंधित आदेश दिनांक 29.04.2020 में मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से सकारण आदेशित किया गया है कि विधि विरूद्ध बालक को धारा 14 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के परिप्रेक्ष्य में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। विधि विरूद्ध बालक की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत के.एस.साबु विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों आदेश दिनांक 05.05.2020 वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त न्यायदृष्टांत डिफॉल्ट बेल से संबंधित है एवं वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है। अतः उपरोक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुए विधि विरूद्ध बालक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 98 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। (संचिता भदकारिया) प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्यायालय रतलाम (म.प्र.)	

संचिता भदकारिया
प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड

Scanned with CamScanner